संख्या-31/2016/298/22-4-16-107(ब)12टीसी

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-29 मार्च, 2016

विषय- प्रदेश की 20 कारागारों में सीसीटीवी सर्विलांस इकाईयों की स्थापना हेतु स्वीकृत धनराशि का अग्रिम भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6971/आधु-1/सीसीटीवी-वैल्यूम-2/2015, दिनांक 08 मार्च, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की 20 कारागारों में सीसीटीवी सर्विलांस इकाईयों की स्थापना अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 से कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-183/2015/1021/22-4-15-107(ब)12टी0सी0, दिनांक 15 सितम्बर, 2015 द्वारा रू0 4,17,40,000/-( रूपया चार करोड़ सत्रह लाख चालीस हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 4,14,57,629/-( रूपया चार करोड़ चौदह लाख सत्तावन हजार छः सौ उन्तीस मात्र) का अग्रिम आहरण कर कार्यदायी संस्था अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 को भुगतान किये जाने की स्वीकृति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83 तथा संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10.06.2011 में निहित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) समस्त सम्बन्धित वित्तीय नियमों, प्रक्रिया और इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2016 तक कर लिया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि के आहरण में से यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए आहरण-वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग की अशासकीय संख्या-एफ0ए0-1-125/दस-2016, दिनांक 29 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-31/2016/298(1)/22-4-16-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) निदेशक, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, अपट्रान बिल्डिंग, नियर गोमती बैराज, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।